न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या :– /2019

प्रार्थी :–

सताराम पुत्र श्री अचलाराम जाति जाट निवासी ग्रम जसनाथपुरा थोब तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जोगाराम पुत्र श्री अचलाराम
2. पूर्णाराम पुत्र श्री अचलाराम
3. नैनाराम पुत्र श्री अचलाराम
4. चौथी पत्नी श्री अचलाराम
5. कानाराम पुत्र श्री लिखमाराम
6. अमराराम पुत्र श्री लिखमाराम सभी जाति जाट निवासी ग्राम जसनाथपुरा तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर
7. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियाँ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामाकिशन सियाक

अप्रार्थी सरकारी पैराकार उपस्थित

–::निर्णय ::–

दिनॉक 10/12/19

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी एवम अप्रार्थीगण एक ही गॉव जसनाथपुरा थोब के स्थाई निवासी है इनकी पैत्रक भूमि तात्कालीन राजस्व ग्रम थोब एवम वर्तमान नवसृजित ग्राम एवाल की धोरा तथा जसनाथपुरा में आई हुई है। प्रार्थी एव अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी भूमि ग्रम एवाल की धोरा के खसरा सख्या 141 व 140 एवम जसनाथपुरा के खसरा सख्या 834, 835, 880, 881, 930 व 932 की आई हुई है। गॉव एवाल की धोरा के खसरा सख्या 141 में प्रार्थी का नाम सताराम पुत्र श्री अचलाराम दर्ज है तथा खसरा सख्या 140 में अन्य सहखातेदारो के साथ सताराम की जगह सम्पतराम व इसी तरह गॉव जसनाथपुरा के खसरा सख्या 834, 835, 880, 881, 930 व 932 मे सताराम पुत्र श्री अचलाराम की जगह सम्पतरा[illegible] नाम सताराम है जो बैक खाता डायरी, पैन कार्ड, डाईविंग लाईसेंस, [illegible] आधार कार्ड वोटर कार्ड सभी में सताराम पुत्र श्री अचला[illegible] स्वर्गवास सम्वत 2037 में हो गया। उस समय प्रा[illegible] राजस्व रेकर्ड का ध्या[illegible] था। अब बैक ऋण वगैरह में राजस्व रेकर्ड में गलती [illegible] अहसास होने पर प्रार्थी [illegible] का ज्ञान हुआ है। प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में गलत नाम की वजह से कृषि ऋण अनाज बेचने पर मण्डी में व सभी तरह के भूमि से सम्बधित कय विकय में गलत नाम की [illegible] परेशानी हो रही है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में हल्का पटवारी की भूल या सहवन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:17:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दर्ज है जो जरिये शुद्वि पत्र शुद्व किए जाने योग्य है । उक्त भूमि ग्रम एवाल की धोरा के खसरा सख्या 141 में नाम सही सताराम पुत्र श्री अचलाराम एवम एवाल की धोरा के खसर सया 140 गलत रूप से सम्पतराम व इसी तरह गॉव जसनाथपुरा की खातेदारी भूमि में सम्पतराम अलग अलग हल्का पटवारी की गलती या भूलवश दर्ज हुआ जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है जो शुद्व किए जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थी द्वारा ईस्तदुआ चाही कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि गॉव एवाल की धोरा के खसरा सख्या 140 एवम जसनाथपुरा के खसरा सख्या 834, 835, 880, 881, 930, 931, 932 में दर्ज नाम सम्पतराम के स्थान पर गॉव एवाल की धोरा के खसरा सख्या 141 में दर्ज नाम सताराम की तरह नाम सताराम दर्ज किया जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथपत्र पेश किया ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी सरकार पैराकार की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ तथा जब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुए सम्पतराम व सताराम एक ही व्यक्ति होना बताया तथा उक्त खसरान की भूमि में सही नाम सताराम दर्ज करने की अनुसंशा की व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की ईस्तदुआ चाही ।

बहस उभय पक्षकार सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी की ओर से कोई खण्डन नही है तथा सरकारी पैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की अनुसंशा की है तथा प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पहचान सम्बधी दस्तावेजो के अवलोकन बाबत अनुरोध किया तथा बताया कि एवाल की धोरा के खसरा सख्या 141 में प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम दर्ज है लेकिन अन्य खसरान की भूमि में उक्त नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज है।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया चूँकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण की ओर से कोई विरोध नही किया गया है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पहचान सम्बंधी दस्तावेजो में सताराम पुत्र श्री अचलाराम है जो प्रार्थी के ही है केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में त्रुटि से उक्त सम्पतराम दर्ज है जो अशुद्व है लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश ::–

अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम एवाल की धोरा के खसरा सख्या 140 एवम राजस्व ग्राम जसनाथपुरा के खसरा सख्या 834, 835, 880, 881, 930, 931, 932 में प्रार्थी का नाम सम्पतराम के स्थान पर सताराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार ओसियॉ को तहरीर जारी हो।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:17:32 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनॉक 10/12/19 को हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय सरेईजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Scanned by CamScanner